

कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।
17, न्यू बेरी रोड डालीबाग, लखनऊ।


पत्रांक 5/0061c / विकास अनुभाग / लखनऊ दिनांक. 25, अप्रैल, 2018

- 1-समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त।
- 2-समस्त जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय-जिला योजना अन्तर्गत गन्ना विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-23 (अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य मद) के अन्तर्गत 0.5 प्रतिशत की धनराशि वानिकी कार्यो हेतु मात्राकरण करते हुए बजट प्राविधान के सापेक्ष जनपदवार/कार्यक्रमवार कुल धनराशि रु.1738.00 लाख का व्यय के सम्बन्ध में।

कृपया पत्र के साथ संलग्न शासनादेश सं.-24/2018/696/46-1-18-/1000(14)/2018 दिनांक 13 अप्रैल, 2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो जिला योजना अन्तर्गत गन्ना विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य मद हेतु आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम हेतु रु.1,41,49,000, प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम हेतु रु.3,61,58,000, अभिजनक बीज यातायात कार्यक्रम हेतु रु.4,60,000, आधार बीज यातायात कार्यक्रम हेतु रु.19,81,000, मृदा एवं बीज उपचार कार्यक्रम हेतु रु.5,28,36,000, पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम हेतु रु.2,74,55,000, बायोफर्टिलाइजर/वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रम हेतु रु.3,98,92,000 तथा वानिकी कार्यक्रम हेतु रु.8,69,000 कुल धनराशि रु.17,38,00,000 लाख के सम्बन्ध में है। अवमुक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय/उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं.-2043सी.डी./46-3-12-1000(38)/2012 दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइड-लाइन्स) तथा शासनादेश 1533/52-3-2013-सा(30) दिनांक 24 अगस्त, 2013 में अल्पसंख्यकों के लिए 20 प्रतिशत मात्राकृत किये जाने के निर्देशों एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-285/26-3-2014-3(15)/2007टी.सी. दिनांक 03 मार्च, 2014 के अनुसार 17 पिछड़ी जातियों हेतु 7.5 प्रतिशत तथा वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015 -123/2015 दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुपालन में विभिन्न भूमि उपयोग वाले विभागों के लिए बजट के सापेक्ष 0.5 प्रतिशत धनराशि वानिकी कार्यो हेतु मात्राकृत करते हुए व्यय की जायेगी। तदहेतु इस शासनादेश के संलग्नक के कालम-24 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित



कर सम्बन्धित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

2. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से डी.बी.टी. व्यवस्था के तहत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं.-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2019) से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

4. आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैंड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

5. योजना में निहित राज्य/सहायता अनुदान का लेखा जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. का होगा।


6. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपॉजिट खाते में नही रखी जायेगी।

7. स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

8. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्य फसलें-06-गन्ना विकास याजना (जिला योजना)-20 सहायता अनुदान 'सामान्य (गैर वेतन)' के नाम डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं.-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब.प्र.2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

जनपद शामली, हापुड़, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरण कर सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी।



अवमुक्त धनराशि का व्यय सुनिश्चित करते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, इलाहाबाद, वित्त विभाग, शासन तथा इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न-यथोपरि।

(संजय आर मूसरेड्डी)

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी उत्तर प्रदेश

पत्रांक 4/0061C तददिनांक: 25/4/18

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उ.प्र. शासन।
2. वित्त नियन्त्रक, मुख्यालय।
3. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र.।

(के.के.सिंह)

वित्त नियंत्रक,
कार्यालय गन्ना एवं चीनी
उत्तर प्रदेश

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-23/04/2018

प्रेषण संख्या:- a
आवंटन आदेश संख्या:- 003-023-budget-2018-19
अनुदान संख्या:- 23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2401 - फसल कृषि कर्म(आयोजनेत्तर-मतदेय)
108 - वाणिज्यिक फसलें
06 - गन्ना विकास की योजना (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-2452-उप गन्ना आयुक्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	6953646 6953646	6953646 6953646
2	मुज़फ्फर नगर-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14047363 14047363	14047363 14047363
3	मेरठ-2452-उप गन्ना आयुक्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	9118060 9118060	9118060 9118060
4	बुलन्दशहर-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4138884 4138884	4138884 4138884
5	अलीगढ़-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	900491 900491	900491 900491
6	मथुरा-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	30952 30952	30952 30952
7	बरेली-2452-उप गन्ना आयुक्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	7077570 7077570	7077570 7077570
8	बिजनौर-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	16078678 16078678	16078678 16078678
9	बदायूं-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1737000 1737000	1737000 1737000
10	मुरादाबाद-2455-उप / संयुक्त गन्ना आयुक्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	7281116 7281116	7281116 7281116
11	शाहजहाँपुर-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6198372 6198372	6198372 6198372
12	पीलीभीत-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6635942 6635942	6635942 6635942
13	रामपुर-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2269671 2269671	2269671 2269671
14	फर्रुखाबाद-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	754874 754874	754874 754874
15	कानपुर नगर-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	548345 548345	548345 548345
16	वाराणसी-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--			

